भारत सरकार / Government of India
विकास आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Development Commissioner,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई/ / Andheri (E), Mumbai –400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294790
ई-मेल / E-mail: dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

फा.सं. SECU-11011/1/2022 दिनांक: 13/10/2023

सूचना

एसजीजेएमए और सीमा द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, गेट पास प्रणाली "प्रvesh" में कुछ संशोधन और इसके कार्यान्वयन योजना को 63 वीं प्राधिकरण बैठक में विचार-विमर्श के बाद विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया है। तदनुसार, परिपत्र संख्या 31/2023 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

क. महत्वपूर्ण तारीखों में परिवर्तन-

"दिनांक 23.05.2017 के परिपत्र संख्या - 04 में निर्धारित प्रक्रिया के अधिक्रमण में, नई गेट पास प्रणाली "प्रVESH" को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए निम्नलिखित व्यापक दिशानिर्देश/प्रक्रिया "कार्यान्वयन की तारीख" से लागू होंगे:

"कार्यान्वयन की तारीख" एक अलग नोट द्वारा सूचित की जाएगी और कार्यान्वयन की तारीख पर पुराने पास बंद कर दिए जाएंगे।

क. यूनिटों को कर्मचारियों और वाहनों के सभी स्थायी गेट पास के लिए 25 अक्टूबर, 2023 को या उससे पहले नई प्रणाली "प्रवेश" में आवेदन करना होगा और 31 अक्टूबर, 2023 तक समाप्त हो चुके वाहनों के लिए आवेदन करना होगा।

ख. वर्तमान गेट पास प्रणाली में 31 अक्टूबर, 2023 से अधिक वैधता वाले अन्य सभी स्थायी पासों को 30 नवंबर, 2023 को या उससे पहले आवेदन करना होगा।

ग. पुरानी गेटपास प्रणाली में "कार्यान्वयन की तारीख" तक दैनिक गेट-पास की अनुमति होगी। तदनुसार, 05 सितंबर, 2023 के बाद समाप्त हो चुके पास "प्रVESH" गेट पास प्रणाली के कार्यान्वयन की तारीख तक वैध होंगे।

नोट: नए कर्मचारी के मामले में, यूनिट सुरक्षा अनुभाग में पत्र के रूप में अनुरोध कर सकता है और कर्मचारी को "कार्यान्वयन की तारीख" तक उस पत्र को दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।

ख. शुल्क संबंधी संशोधन:

क. स्थायी गेट पास के लिए शुल्क पुराने गेट पास प्रणाली के समान होगा।

ख. सभी दैनिक गेट पास के लिए शुल्क रु. 01 होगा।

ग. यूनिट के सक्रिय गेट पास की शेष राशि का समायोजन:

- पुराने गेट पास सिस्टम में अप्रयुक्त राशि को उनके अनुरोध पर यूनिट के "प्रVESH" खाते में जमा किया जाएगा।
- वर्तमान गेट पास की वैधता की शेष अवधि के अनुपात में शेष राशि, उनके अनुरोध पर यूनिट के "प्रVESH" खाते में जमा की जाएगी।
- यूनिटों को अनुलग्नक-ख में संलग्न प्रारूप में वर्तमान सक्रिय गेट पास की शेष राशि के क्रेडिट के लिए अनुरोध करना होगा, तदनुसार, सीप्ज़ सेज़ प्राधिकरण केवल "प्रVESH" गेट-पास वॉलेट में राशि को सत्यापित और क्रेडिट करेगा।
- किसी भी स्थिति में यूनिट को रिफंड नकद या ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, इसे केवल यूनिट के "प्रVESH" खाते में जमा किया जाएगा।
- बढ़े हुए गेट पास शुल्क और पुराने गेट पास शुल्क की अंतर राशि यून्टि के "प्रVESH" खाते में जमा की जाएगी यदि उन्होंने पहले से ही बढ़े हुए शुल्क के साथ "प्रVESH" गेट पास प्रणाली में गेट पास के लिए आवेदन किया है।

घ. आवेदन में परिवर्तन:

- दो चरणों वाला सत्यापन शुरू किया जाएगा, जिसमें गेट पास का सत्यापन दो चरणों में किया जाएगा- पहला सीप्ज़ गेट पर और दूसरा यूनिट में प्रवेश के समय।
- छोटी अवधि के लिए स्थायी पास की नई श्रेणियां शुरू की जाएंगी।
- स्थायी गेट पास में रक्त समूह कॉलम में ड्रॉपडाउन विकल्प "एनए" होगा, जिसमें रक्त समूह विवरण उपलब्ध न होने की स्थिति में यूनिट विकल्प चुन सकते हैं।

नोट:

1. सेवा प्रदाता से परिवर्तन करने का अनुरोध किया जाता है और परिवर्तनों के कार्यान्वयन के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा।
2. जब तक "प्रVESH" गेट पास प्रणाली में परिवर्तन नहीं हो जाते, इकाइयों को "प्रVESH" गेट पास प्रणाली की वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार आवेदन करना होगा।

ङ. अन्य परिवर्तन:

- यदि आगंतुक के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो यूनिट आगंतुकों को अपनी कंपनी की मुहर के साथ दैनिक गेट पास का प्रिंट प्रदान कर सकते हैं।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-
(हनीश राठी)
सहायक विकास आयुक्त/सुरक्षा अधिकारी
सीप्ज़-सेज़, मुंबई

प्रति,

1. सभी यूनिट धारक
2. सभी के सभी संगठन
3. सभी नोटिस बोर्ड
4. सीप्ज़ वेबसाइट
5. सीप्ज़-सेज़ के सभी अनुभाग

अनुलग्नक - ख

यूनिट का नामः

क. 01 अक्टूबर 2023 से एक माह से अधिक की वैधता वाले गेट पास की सूची

क्रमांक	सीप्ज़ पहचान पत्र सं.	कर्मचारी का नाम	जारी करने की तारीख	वैधता की तारीख

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
सीप्ज़ विशेष आयुक्त क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096.
टेली / Tel : 022-28294790
ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Web-site : www.seepz.gov.in

File No. SECU-11011/1/2022 Date:13/10/2023

NOTICE

As per request made by SGJMA and SEEMA, some modifications in Gatepass system "प्रvesh" and its implementation plan have been approved by the Development Commissioner after deliberation in 63rd Authority Meeting. Accordingly, following modification to Circular No. 31/2023 have been made:

A. CHANGES IN IMPORTANT DATES-

"In supersession of procedure set out in Circular No.04 dated 23.05.2017, following comprehensive guidelines /procedure will come into force w.e.f. the "date of implementation" in order to implement new Gatepass system"प्र VESH" in a phased manner:

"Date of implementation" will be communicated by a separate Note and Old Passes will be discontinued on the date of implementation.

a) Units shall apply on or before 25th October, 2023 for all permanent Gatepass of employees and vehicles expired by 31th October, 2023 in new system "प्र VESH" and.

b) All other permanent passes having validity beyond 31th October, 2023 in existing Gatepass system shall have to apply on or before 30th November, 2023.

c) Daily gate-pass will be allowed in old Gatepass system till the "date of implementation".

Accordingly, the passes expired after 05th September, 2023 will be valid till the date of implementation of "प्रVESH" Gatepass system.

Note: In case of new employee, Unit can request in letter form at Security Section and the employee will be allowed after showing that letter till the "date of implementation".

B. CHARGES RELATED MODIFICATIONS:

a. Charges for permanent Gatepass will be same as Old Gatepass system.
b. Charges for all daily Gatepass will be Rs. 01.

C. ADJUSTMENT OF UNIT'S BALANCE AMOUNT OF ACTIVE GATE PASSES:

- Un-utilised amount in Old Gatepass system will be credited in "प्रVESH" account of the Unit on their request.

- Balance amount in proportion to the remaining period of current gate passes validity, will be credited in "प्रVESH" account of the Unit on their request.

- Units have to request for the credit of the balance amount of current active Gatepasses in the format attached at Annexure-B, accordingly, SEEPZ SEZ Authority will verify and credit the amount in the Pravesh Gate-pass wallet only.

- In no case the refund will be made in cash or online transfer to the Unit, it will be credited in "प्रVESH" account of the Unit only.

- Differential amount of increased Gatepass charges and old gatepass charges will be credited in "प्रVESH" account of the Unit if they have already applied for the Gatepasses in "प्रVESH" Gatepass system with increased charges.

D. CHANGES IN APPLICATION:

- Two step verification will be introduced, wherein passes will be verified at two stages- 1st at SEEPZ Gate and 2nd at the time of entry in the Unit.

- New categories of permanent passes will be introduced for shorter duration.

- Blood group column in permanent Gatepass will have dropdwn option "NA", wherein Units can choose the option in case of non-availability of blood group details.

NOTE:

1. Changes are requested to the Service Provider and implementation of changes will be communicated separately.

2. Until the changes take place in the "प्रVESH" Gatepass system, units have to apply as per existing available features of "प्र VESH" Gatepass system.

E. OTHER CHANGES:

- If the visitor does not have smart phone, units can provide print of daily Gatepass to the visitors with the stamp of their company.

This issue with the approval of Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai.

13/10/2023

(Hanish Rathi)
Asst. Development commissioner/Security Officer
SEEPZ, SEZ

To,

1. All units holder.
2. All association of SEEPZ.
3. All notice board.
4. SEEPZ website.
5. All sections of SEEPZ, SEZ.

Annexure-B

Name Of the unit:

A. List of the gate passes having validity more than one month from 01 October 2023

Sr. No.	Seepz Id No.	Employee Name	Issue Date	Valid upto Date